



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11]  
No. 11]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 1997/चैत्र 10, 1919  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 1997/CHAITRA 10, 1919

भारतीय पुनर्वास परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1997

फा. सं. 5-62/93-आर.सी.आई.—भारतीय पुनर्वास परिषद्, भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुनर्वास परिषद् विनियम, 1997 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **परिभाषाएं**—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—  
(क) "अधिनियम" से भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का 34) अभिप्रेत है;  
(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद् अभिप्रेत है;  
(ग) "कार्यकारिणी समिति" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित परिषद् की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;  
(घ) "प्ररूप" से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;  
(ङ) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।
3. **परिषद् का गठन**—परिषद्, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार गठित की जाएगी ।
4. **अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य**—अध्यक्ष,—  
(1) परिषद् और उसकी समितियों द्वारा उचित कार्यकरण और परिषद् या समिति द्वारा लिए गए विनिश्चयों के कार्यान्वयन तथा इन विनियमों या अधिनियमों के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए;  
(2) परिषद् के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर ऐसा पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण, जैसा कि अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए अपेक्षित हो, प्रयोग करने के लिए, उत्तरदायी होगा ।
5. **परिषद् की शक्तियां**—(1) परिषद् का, इसके कार्यकलापों पर साधारण नियंत्रण होगा और उसे सभी शक्तियों को प्रयोग करने तथा इन विनियमों और अधिनियम के उपबंधों से संगत परिषद् के सभी कार्यों और कृत्यों का पालन करने का प्राधिकार होगा ।



(2) परिषद् लेखा रखेगी, बजट प्राक्कलनों को तैयार तथा मंजूर करेगी, व्यय मंजूर करेगी, संविदा करेगी और परिषद् के लेखाओं के विनिधान पर नियंत्रण रखेगी ।

(3) परिषद् किसी विन्यास या न्यास निधि या किसी अभिदान या संदान का प्रबंध और प्रशासन प्रतिग्रहण कर सकेगी परन्तु यह तब जब कि इसके साथ ऐसी कोई शर्त न हो जो कि परिषद् के उद्देश्यों से असंगत हो या उसके विरुद्ध हो ।

(4) किसी विदेशी अभिकरण से सहायता की बाबत जो किसी अस्तित्वयुक्त करार के अनुसरण में नहीं है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

(5) परिषद् की संपत्ति परिषद् में निहित होगी ।

(6) किसी विधिक कार्यवाही में, सदस्य-सचिव या इस प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त किसी अन्य सदस्य के नाम से परिषद् वाद ला सकेगी या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

6. **सदस्यता का पर्यावसान**—(1) जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण परिषद् का सदस्य बनता है जब परिषद् से उसकी सदस्यता, यथास्थिति, उसका पद या नियुक्ति समाप्त होने पर, समाप्त हो जाएगी ।

(2) राज्य सभा और लोक सभा द्वारा निर्वाचित परिषद् के सदस्य क्रमशः राज्य सभा और लोक सभा की सदस्यता समाप्त होने पर, परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे ।

7. **वार्षिक साधारण अधिवेशन**—(1) परिषद् के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन वर्ष में कम से कम एक बार और ऐसे समय और स्थान पर किया जाएगा, जो अध्यक्ष विनिश्चित करें ।

(2) परिषद् के साधारण अधिवेशनों का आयोजन वर्ष के दौरान ऐसे समय और स्थान पर किया जा सकेगा जिसे अध्यक्ष विनिश्चित करे और यह परिषद् के सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर तुरन्त बुलाया जाएगा ।

(3) परिषद्,—

(क) वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर सकेगी;

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष के तुलनपत्र और संपरीक्षित लेखाओं पर विचार कर सकेगी;

(ग) आगामी वर्षों के लिए बजट प्रस्तावों को प्राप्त कर उन पर विचार कर सकेगी;

(घ) निशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण पालिसियों और कार्यक्रमों को विनियमित कर सकेगी;

(ङ) निशक्त व्यक्तियों से संबंधित, वृत्तिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण कर सकेगी;

(च) निशक्त व्यक्तियों से संबंधित वृत्तिकों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक विहित कर सकेगी;

(छ) इन मानकों को केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारी संस्थाओं में विनियमित कर सकेगी;

(ज) इस क्षेत्र की संस्थाओं/प्रशिक्षण वृत्तिकों को मान्यता दे सकेगी और इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों को मान्यता प्रदान कर सकेगी और ऐसी मान्यता को वापस ले सकेगी;

(झ) इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विदेशी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों को मान्यता दे सकेगी और ऐसी मान्यता को वापस ले सकेगी ;

(ञ) भारत तथा विदेश से संस्थाओं से निशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण पर नियमित आधार पर सूचना एकत्र कर सकेगी;

(ट) ऐसे अन्य मामले या मामलों पर, जिन्हें अध्यक्ष उठाता है, विचार कर सकेगी;

(ठ) कार्यसूची के किसी अन्य कामकाज पर विचार कर सकेगी ।

8. **अधिवेशन की कार्यसूची** :—(1) अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य-सचिव अधिवेशन के समक्ष लाए जाने वाले कामकाज, ऐसे सभी प्रस्तावों जिन्हें किया जाना है, के निबंधन, जिनकी लिखित सूचना पूर्व में उसके पास पहुंच चुकी है तथा प्रस्तावकर्ताओं के नाम दर्शित करते हुए, प्रारंभिक कार्यसूची पेपर के साथ अधिवेशन की सूचना जारी कर सकेगा ।

(2) कोई सदस्य जो ऐसे प्रस्ताव करना चाहता है, जो प्रारंभिक कार्यसूची पेपर में सम्मिलित नहीं है या इसमें सम्मिलित किसी मद में संशोधन से संबंधित सदस्य-सचिव को अधिवेशन के लिए नियत तारीख से सात पूर्ण दिनों से अन्यून की सूचना देगा ।

(3) विशेष अधिवेशन की दशा में, सदस्य-सचिव अधिवेशन के लिए नियत तारीख से दस पूर्ण दिनों से अन्यून की अधिवेशन की सूचना देगा और अधिवेशन के समक्ष लाए जाने वाले कामकाज को दर्शित करते हुए एक पूर्ण कार्यसूची पेपर जारी करेगा ।



(4) कोई सदस्य जो पूर्ण कार्यसूची पेपर में सम्मिलित किसी मद में संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता है, सदस्य-सचिव को अधिवेशन के लिए नियत तारीख से तीन पूर्ण दिनों से अन्यून की सूचना देगा।

(5) यदि समय हो तो सदस्य-सचिव ऐसे सभी संशोधनों की एक सूची बनाएगा, जिनकी सूचना उप-विनियम (4) के अधीन प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने के लिए दी गई है।

(6) कोई प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होगा,—

(क) यदि वह विषय, जिससे यह संबंधित है, परिषद् के कृत्यों की परिधि में नहीं है ;

(ख) जब तक कि यह स्पष्टता और प्रामाणिकता से अभिव्यक्त नहीं है और इससे कोई निश्चित प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ;

(ग) यदि इससे तर्क, अनुमान, व्यंग्योक्ति या मानहानिकारक कथन अन्तर्विष्ट है।

(7) अध्यक्ष किसी ऐसे प्रस्ताव को अननुज्ञात कर सकेगा जो उसकी राय में उप-विनियम (1) के अधीन अग्राह्य है :

परन्तु यदि कोई प्रस्ताव संशोधन द्वारा ग्राह्य हो जाता है तो अध्यक्ष प्रस्ताव को अननुज्ञात करने के बदले इसे संशोधित रूप में स्वीकार कर सकेगा।

(8) जब अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को अननुज्ञात करता है या संशोधित करता है तब, सदस्य-सचिव उस सदस्य को जिसने प्रस्ताव की सूचना दी थी, यथास्थिति, अननुज्ञात करने वाले आदेश या उस प्ररूप की, जिसमें प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, सूचना देगा।

9. विशेष अधिवेशन—(1) जब कभी अध्यक्ष ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह अधिवेशन के प्रयोजन को उपदर्शित करते हुए चौदह दिनों से अन्यून की सूचना देकर परिषद् का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा।

(2) परिषद् के ऐसे विशेष अधिवेशन में अधिवेशन की सूचना में सम्मिलित कामकाज से भिन्न कोई कामकाज निष्पादित नहीं किया जाएगा।

(3) परिषद् को ऐसे अधिवेशनों में ऐसे अन्य संगठनों या संस्थाओं और व्यष्टियों को आमंत्रित करने की शक्ति होगी जो परिषद् के हित में वांछनीय हैं।

10. परिषद्/समिति का कार्यवृत्त—(1) परिषद् के अधिवेशन का कार्यवृत्त सदस्य-सचिव द्वारा तैयार और परिरक्षित किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

(2) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रति अधिवेशन के दस दिनों के भीतर अध्यक्ष को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी और उसके पश्चात् अधिवेशन के बीस दिनों के भीतर प्रत्येक सदस्य को एक प्रति भेजी जाएगी।

(3) यदि सदस्य-सचिव द्वारा कार्यवृत्त की परिशुद्धता के संबंध में कोई आक्षेप बीस दिनों के भीतर प्राप्त किया जाता है तो ऐसा आक्षेप अभिलिखित कार्यवृत्त के साथ परिषद् के अगले अधिवेशन के समक्ष रखा जाएगा और अधिवेशन के अभिलेखों की परिशुद्धता से भिन्न कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया जाएगा :

परन्तु यह तब जब कि यदि अधिवेशन में परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चय के संबंध में कोई अनापत्ति सदस्य-सचिव द्वारा उस विशेष अधिवेशन के कार्यवृत्त पर तीस दिनों के भीतर प्राप्त होती है, तो ऐसे विनिश्चय को, यदि समीचीन हो अगले अधिवेशन में कार्यवृत्त की पुष्टि से पहले प्रभाव में लाया जाएगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले परिषद् के विनिश्चय पर कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा।

(4) सदस्य-सचिव ऐसे किसी भी कामकाज के लिए उत्तरदायी होगा जिसका परिषद् के लिए अनुपालन आवश्यक हो, सिवाए तब के जब यह वार्षिक अधिवेशन में रखा गया हो, यह इसके सभी सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा निष्पादित कराया जा सकेगा और इस प्रकार परिचालित और अनुमोदित कोई संकल्प जो सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित हो, इस प्रकार आबद्धकर होगा मानो कि ऐसा संकल्प परिषद् के अधिवेशन में पारित किया गया था : परन्तु यह तब जब कि परिषद् के कम से कम आठ सदस्यों ने संकल्प पर अपने विचार अभिलिखित किए हों।

11. कार्यकारिणी समिति का अधिवेशन—(1) परिषद् की कार्यकारिणी समिति का अधिवेशन प्रत्येक चार मास में कम से कम एक बार होगा।

(2) कार्यकारिणी समिति का अधिवेशन कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा या कार्यकारिणी समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा, जो उसकी ओर से प्राधिकृत किया गया हो, बुलाया जा सकेगा।

(3) कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन में अध्यक्ष पीठासीन होगा और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से किसी को उस अधिवेशन में निर्वाचित किया जाएगा जो उस विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में कृत्य करेगा।

12. कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य—(1) परिषद् के साधारण नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, कार्यकारिणी समिति परिषद् के कार्यकलाप के प्रबंध और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगी और,—



- (क) परिषद् के प्रयोजन को निष्पादित करने के लिए व्यापक पालिसी अधिकथित करेगी,
- (ख) बजट प्राक्कलन का पुनर्विलोकन और उसे मंजूर करेगी,
- (ग) वित्तीय नियमों में परिभाषित रूप में व्यय को मंजूर करेगी,
- (घ) परिषद् की निधियों का विनिधान करेगी,
- (ङ) समीचीन निबंधनों और शर्तों पर उधार लेगी,
- (च) पदों का सृजन, कर्मचारिवृन्द की भर्ती और नियुक्ति करेगी,

(2) 3000 रु. और उसके ऊपर वाले मूल वेतन के सभी पदों का सृजन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

(3) अन्य पदों का सृजन, नियुक्ति और प्रोन्नति कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा।

(4) जब कोई विषय इतना अत्यावश्यक है कि इसका विनिश्चय कार्यकारिणी समिति के अगले अधिवेशन के आयोजन तक प्रतीक्षा में नहीं रखा जा सकता तो वह कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों में परिचालन द्वारा विनिश्चित किया जा सकेगा।

(5) जब कोई विषय इतना अत्यावश्यक है कि कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को इसका निर्देश भी इसके उद्देश्यों को विफल कर देगा, वहां अध्यक्ष परिषद् की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा परंतु ऐसे मामलों में अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई का आगामी अधिवेशन में कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक होगा :

परंतु यह और कि जहां कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष द्वारा किए गए विनिश्चय को उपांतरित या प्रतिवर्तित करती है वहां ऐसा उपान्तरण या प्रतिवर्तन, ऐसे उपान्तरण या प्रतिवर्तन से पहले की गई किसी कार्रवाई की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(6) कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए सभी विनिश्चय परिषद् के समक्ष इसके अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(7) परिषद् की कार्यकारिणी समिति संकल्प द्वारा अध्यक्ष या सदस्य-सचिव या दोनों को संयुक्त रूप से अपनी ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी जिन्हें वह दिन-प्रतिदिन का कामकाज संचालित करने के लिए उचित समझती है।

(8) कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष को ऐसे अन्य संगठनों या संस्थाओं और व्यष्टियों के प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों को ऐसे अधिवेशनों में आमंत्रित करने की शक्ति होगी जिन्हें वह समिति के हित में बांछनीय समझता है।

13. **समितियां**—(1) परिषद् संकल्प द्वारा एक या अधिक समिति या उपसमितियां ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें परिषद् आवश्यक समझती है, गठित कर सकेगी।

(2) उपसमिति को, अध्यक्ष के अनुमोदन से, एक या अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित करने की शक्ति होगी।

(3) परिषद् का सदस्य-सचिव उपरोक्त उपविनियम (1) के अधीन गठित उपसमितियों का सदस्य-सचिव होगा।

(4) अध्यक्ष कामकाज के संचालन के लिए, जिसे वह उचित समझता है, विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपसमिति गठित कर सकेगा परंतु ऐसे मामलों में अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई का कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित होगा :

परंतु जहां कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष द्वारा किए गए विनिश्चय को उपांतरित करती है या प्रतिवर्तित करती है, वहां ऐसा उपान्तरण या प्रतिवर्तन ऐसे उपान्तरण या प्रतिवर्तन से पहले की गई कार्रवाई की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(5) प्रत्येक समिति के कृत्य वही होंगे जो परिषद् के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएंगे। साधारण रूप में समिति को सौंपे जाने वाले कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) परिषद् को, पाठ्यक्रम और अपने ऊपर जिम्मा लिए जाने वाले प्रशिक्षण के अध्ययन की अवधि, परीक्षा के विषय और मान्यताप्राप्त पुनर्वास अर्हता की मंजूरी के लिए किसी विश्वविद्यालय या संस्था से प्राप्त किए जाने वाले प्रवीणता के मानकों की सिफारिश करना, और

(ii) परिषद् को, कर्मचारिवृन्द, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण और पुनर्वास वृत्तिकों के प्रशिक्षण के अध्ययन के लिए अन्य सुविधाओं की सिफारिशें करना,

(iii) परिषद् को परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की अर्हता और ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश की शर्तों की सिफारिश करना।

(6) परिषद् ऐसी सिफारिश की स्वीकृति को, जो वह आवश्यक समझती है, अधिसूचित करेगी।

(7) स्वीकृत सिफारिशें अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त सभी संस्थाओं पर आबद्धकर होंगी और उन पर समान रूप से लागू होंगी।

14. **परिषद् के अधिवेशनों के लिए कामकाज का समय और स्थान**—(1) सामान्यतया परिषद् के अधिवेशन दिल्ली में होंगे या भारत में ऐसे अन्य स्थान पर होंगे और ऐसी तारीखों को होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाएं।



(2) समितियों/उपसमितियों के अधिवेशनों का स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

15. **गणपूर्ति**—(1) परिषद् के सदस्यों का एक तिहाई किसी परिषद् के अधिवेशन में या परिषद् के विशेष अधिवेशन में गणपूर्ति का गठन करेगा ।

(2) कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का एक-तिहाई कार्यकारिणी समिति के किसी अधिवेशन में गणपूर्ति का गठन करेगा ।

(3) यदि परिषद् या कार्यकारिणी समिति के किसी स्थगित अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं होती है तो उपस्थित सदस्य गणपूर्ति का गठन करेंगे ।

(4) परिषद् के प्रत्येक सदस्य या कार्यकारिणी समिति को, यथास्थिति, को लिखित सूचना, वैयक्तिक रूप से या डाक द्वारा, नवीनतम सदस्य नामावली में उल्लिखित उनके पते पर भेजी जाएगी :

(5) परिषद् या कार्यकारिणी समिति के किसी अधिवेशन की सूचना के प्राप्त न होने से अधिवेशनों की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी ।

(6) परिषद् या कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन के लिए सूचना की न्यूनतम अवधि निम्नलिखित होगी :—

(क) परिषद् के वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए—इक्कीस दिन ।

(ख) परिषद् के विशेष अधिवेशनों के लिए—चौदह दिन ।

(ग) कार्यकारिणी समिति के सामान्य अधिवेशनों के लिए—चौदह दिन ।

(घ) कार्यकारिणी समिति के असाधारण अधिवेशन के लिए—सात दिन ।

(7) किसी अधिवेशन में परिषद् या कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

16. **सदस्य नामावली**—परिषद्, पतों और उनके व्यवसायों सहित एक सदस्य नामावली रखेगी ।

17. **परिचालन द्वारा संकल्प**—ऐसा कोई कारबार जिसकी बाबत अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि मामला अति आवश्यक है और निकट भविष्य में कार्यकारिणी समिति का अधिवेशन बुलाना संभव नहीं है तो उसे कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों में परिचालन द्वारा किया जाएगा और वह उतना ही प्रभावी और आबद्धकर होगा जैसे कि वह संकल्प कार्यकारिणी की समिति के अधिवेशन में पारित किया गया हो ।

18. **परिषद् के सदस्य सचिव और अन्य कर्मचारियों की पदावधि, शक्ति और कर्तव्य**—(1) सदस्य सचिव की पदावधि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाएगी :

परंतु आपवादिक परिस्थितियों में परिषद् द्वारा सिफारिश किए जाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यह पदावधि बढ़ाई जा सकती है ।

(2) परिषद् के साधारण नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए, सदस्य सचिव प्रशासनाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(3) सदस्य सचिव परिषद् की संपत्ति की सुरक्षा, कार्यालय/लेखाओं, के नियंत्रण और प्रशासन; पत्राचार के लिए उत्तरदायी होगी, परिषद् के अन्य कर्मचारियों को कार्य आबद्धित करेगा और उसका पर्यवेक्षण करेगा तथा अधिनियम के प्रयोजनार्थ परिषद् द्वारा यथा अपेक्षित अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(4) परिषद् की ओर से सभी संविदाएं अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के पश्चात् सदस्य सचिव द्वारा निष्पादित की जाएगी ।

(5) सदस्य सचिव रजिस्टर रखने और उसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा ।

19. **भारतीय पुनर्वास परिषद् का कार्यालय**—भारतीय पुनर्वास परिषद् का कार्यालय दिल्ली में स्थित होगा ।

20. **लेखाओं का अनुरक्षण, निधियों का संदाय और निधियों की लेखा परीक्षा**—कार्यकारिणी समिति, अधिनियम के उपबंधों और इन विनियमों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी :—

(1) (क) स्थापन के प्रारंभिक और आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों का संदाय ।

(ख) परिषद् के लिए संपत्ति का क्रय ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, परिषद्, निधियों का विनिधान और उपयोग ऐसी रीति से करेगी जो वह ठीक समझे और वह समय समय पर उसमें परिवर्तन कर सकेगी और ऐसे विनियोजनों की वसूली कर सकेगी ।

(घ) बातचीत और संविदाएं कर सकेगी तथा ऐसी सभी संविदाओं और निष्पादनों को विखंडित या परिवर्तित कर सकेगी और परिषद् के नाम में तथा उसकी ओर से सभी कार्यवाही, कार्य और बातें करेगा ।

(2) (क) सदस्य सचिव परिषद् द्वारा उसे यथा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(ख) सदस्य सचिव, परिषद् के सदस्यों, निरीक्षकों, परिदर्शकों और कर्मचारियों के यात्रा भत्तों, विराम भत्ता और अन्य भत्तों को प्रमाणित करेगा ।



- (3) **बजट प्राक्कलनों का तैयार करना**—यह अपेक्षित है कि मंत्रालय बजट प्राक्कलन योजना और योजनेतर दोनों—योजना आयोग, वित्त मंत्रालय के समक्ष अक्टूबर मास में प्रस्तुत करे। अतः मंत्रालय यह प्रत्याशा करता है कि ये प्राक्कलन उसके समक्ष 30 सितम्बर, तक प्रस्तुत किये जाएं। सदस्य सचिव बजट तैयार करेगा और कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के समक्ष 15 सितम्बर तक और कार्यकारिणी समिति के समक्ष 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करेगा। बजट प्राक्कलन, परिषद् के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदनार्थ रखे जाएंगे। बजट प्रस्तावों के संबंध में परिषद् के संपरीक्षण, यदि कोई हों, कल्याण मंत्रालय को संसूचित किए जाएंगे। यदि कल्याण मंत्रालय मांगे गए आबंटन से सहमत न हों तो प्राक्कलनों का पुनरीक्षण किया जाएगा।

परिषद् निम्नलिखित ब्यौरे देगी :—

- (क) परिषद् योजना और योजनेतर प्राक्कलन पृथक-पृथक देगी।
- (ख) यह पूंजीगत और राजस्व प्राक्कलन देगी।
- (ग) परिषद्, बजट में पूर्ववर्ती वर्ष का व्यय, चालू वर्ष का बजट और आगामी वर्ष के प्राक्कलन देगी।
- (घ) बजट में परिषद् के विभिन्न क्रियाकलाप का विवरण और प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रस्तावित निधियों का आबंटन दर्शित किया जाएगा। बजट में एक साधारण शीर्ष दर्शित किया जाएगा जिसमें वेतन और भत्ते, छुट्टी वेतन, भविष्य निधि में अभिदाय, फिक्सचर और फर्नीचर, कार्यालय सामग्री पर व्यय, डाक और तार, टेलीफोन पर व्यय, किराया, टेलेक्स, बिजली, जल प्रभार और अन्य आकस्मिक व्ययों जैसे कि यान अनुरक्षण पर व्यय उपदर्शित किए जाएंगे। प्रत्येक क्रियाकलाप क्षेत्र में पूंजी, उपस्कर, खपने वाला सामान और न खपने वाला सामान, वृत्तिका आदि के लिए निधियों की अपेक्षाएं अंतर्विष्ट होंगी। बजट प्राक्कलनों के साथ लिखित रूप में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी :—
- (i) चालू कार्यक्रमों के लिए निधियों की उपेक्षाएं।
- (ii) नए कार्यक्रम के लिए निधियों की उपेक्षाएं।
- (iii) पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए, चालू वर्ष और आगामी वर्ष में प्राप्त किए जाने के लिए प्रस्थापित भौतिक लक्ष्य।
- (4) **परिषद् की निधियों में निम्नलिखित होंगे,—**
- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान;
- (ख) अन्य स्रोतों से अभिदाय
- (ग) अन्य आय और प्राप्तियों; जो कि सुसंगत रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और विशिष्ट शीर्षों और विनिर्दिष्ट मदों पर व्यय।
- (5) **बजट प्राक्कलनों की मंजूरी**—परिषद् की निधियों से वित्त पोषित किए जाने के लिए प्रस्थापित स्कीमों/परियोजनाओं और कोई ऐसी नई स्कीम जो मूल स्कीम के विकास के लिए प्रारंभ किए जाने की संभावना है और जो उस वर्ष के प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं की गई है, के संबंध में कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। वित्तीय परिणाम सहित एक प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुपूरक द्वारा अथवा मंजूरीकृत प्राक्कलनों के भीतर पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त पोषण किए जाने के लिए रखा जाएगा।
- (6) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, एक तुलन पत्र तैयार किया जाएगा जिसमें आस्तियां और दायित्व सम्मिलित होंगे और उसमें प्राप्तियों व व्यय पर सम्यक ध्यान दिया जाएगा।
- (7) परिषद् का लेखा वर्ष पहली अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक होगा।

21. **निधि का अनुरक्षण और लेखाओं का अनुरक्षण**—(1) परिषद् की निधियां किसी राष्ट्रीय बैंक में निक्षिप्त की जाएंगी और दो हस्ताक्षरकर्ताओं अर्थात् सदस्य सचिव और अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित द्वारा चलाया जाएगा।

- (2) लेखा परीक्षा—परिषद् उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें आय और व्यय लेखा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से यथा विनिर्दिष्ट रूप में तुलनपत्र भी सम्मिलित होगा।
- (3) परिषद् के लेखाओं की भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर लेखा परीक्षा की जाएगी तथा ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय परिषद् द्वारा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को संदेय होगा।
- (4) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस लेखा परीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में हैं और विशेष रूप से उसे लेखा पुस्तकें, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और कागजातों को प्रस्तुत किए जाने की मांग करने का तथा परिषद् के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (5) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित परिषद् के लेखा उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किए जाएंगे और सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।



- (6) विनियोग/पुनर्विनियोग.—परिषद् के सदस्य सचिव को, अध्यक्ष के अनुमोदन से विधिमाम्य कारणों से किसी प्रारम्भिक या द्वितीयक एकक से दूसरे में निधियों के विनियोग और/या पुनर्विनियोग करने की तथा उसके लिए अगले अधिवेशन में कार्यकारणी समिति का अनुसमर्थन प्राप्त करने की शक्ति होगी।
- (7) विनिधान.—परिषद् की निधि का विनिधान, परिषद् के पास पर्याप्त अतिशेष रखने के पश्चात् यदि साध्य हो तो बेहतर प्रत्यागम की प्राप्ति के लिए अल्पावधि नियत निक्षेप में अथवा ऐसी रीति से जो कार्यकारणी समिति प्राधिकृत करे, किया जा सकेगा।
- (8) सदस्य-सचिव परिषद् द्वारा धारित प्रतिभूतियों का एक रजिस्टर रखेगा। परिषद् की निधियों के सभी विनिधान परिषद् के नाम में होंगे। सदस्य सचिव द्वारा ऐसे विनिधान के सभी क्रय, विक्रय या परिवर्तनों तथा परिषद् के विनिधानों के क्रय, विक्रय या परिवर्तनों के लिए आवश्यक सभी संविदाएं, अन्तरणविलेखों या अन्य दस्तावेजों का कार्यकारणी समिति की ओर से, अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात्, किए जाएंगे या निष्पादित किए जाएंगे। रसीदों/प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा सदस्य-सचिव के व्यक्तिगत प्रभाराधीन होगी और उसकी अभिरक्षा में प्रतिभूतियों के रजिस्टर से छह मास में एक बार सत्यापित की जाएगी और ऐसे सत्यापन के पश्चात् सत्यापन का प्रमाणपत्र रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।
- (9) संविदा.—सदस्य-सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात्, सभी करार, संविदाएं अन्तरणविलेख, हस्तांतरणपत्रों और परिषद् के मामलों के संबंध में अन्य दस्तावेज, परिषद् द्वारा नियुक्त विधिक सलाहकारों के परामर्श से और उनकी सलाह पर हस्ताक्षर और निष्पादित करेगा।
- (10) संविदा से उद्भूत होने वाले विवाद के सभी मामलों में सदस्य-सचिव वाद लाएगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।
- (11) संपत्ति का व्ययन.—सदस्य-सचिव अध्यक्ष के अनुमोदन से अपचय और अन्य वस्तुओं के व्ययन के लिए तथा सभी बेकार और अनुपयोगी वस्तुओं को अपलिखित करने के लिए एक अनुपयोगी करने वाला बोर्ड बनाएगा।
- (12) निधि का निकालना.—सदस्य-सचिव व्यय पर नजर रखेगा और मंजूरीकृत अनुदानों के भीतर और परिषद् द्वारा उसे प्रत्यायोजित शक्तियों से अनधिक संदायों के लिए स्वीकृति देगा। उसकी सहायता परिषद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई वित्तीय उपविधियों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
- (13) व्यय को पूरा करने के लिए निधि बैंक से चैक द्वारा निकाली जाएगी।
- (14) चैक-बुक, सदस्य-सचिव या सदस्य-सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी जाएगी।
- (15) प्राप्तियों और व्यय के संबंध में सदस्य-सचिव की सहायता लेखा अधिकारी/लेखापाल द्वारा की जाएगी जो प्रोफार्मा लेखा रखेगा और वेतन तथा भत्तों के संबंध में सभी दावे प्रस्तुत करेगा। विहित प्ररूपों में यात्रा भत्ते और आकस्मिक व्यय के बिल, सदस्य-सचिव या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, मांगदेय ड्राफ्ट/चैक या नकद द्वारा संदाय के लिए पारित किए जाने से पूर्व प्रतिहस्ताक्षरित होंगे। लेखा अधिकारी/लेखापाल, परिषद् की निधियों से सभी संदायों पर लेखा-परीक्षा-पूर्व प्रकृति की जांच पड़ताल रखेगा।
- (16) कार्यालय आवास का किराए पर लिया जाना.—सदस्य-सचिव को शक्ति होगी कि जब कभी आवश्यक हो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा समरूप प्रयोजनों के लिए और/या ऐसे विनिर्दिष्ट दरों की अनुपस्थिति में, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 की अनुसूची 5 के उपाबंध की प्रविष्टि 16 में यथा अधिकथित केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से और कार्यकारणी समिति के अनुमोदन से कार्यालय परिसरों के लिए आवास स्थान किराए पर अर्जित कर सकेगा।

यदि केन्द्रीय पूल आवास से अनुकल्पित व्यवस्था न की गई हो तो अध्यक्ष के पास शक्ति होगी कि परिषद् के पूर्व अनुमोदन से परिषद् के कर्मचारिवृन्द के लिए निवासीय आवास किराए पर ले ले/क्रय कर ले।

- (17) रजिस्टर का अनुरक्षण—परिषद् द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें और रजिस्टर रखे जाएंगे :—

अनुदान रजिस्टर।

आस्तियों का रजिस्टर।

परिषद् के कर्मचारियों से भिन्न पक्षकारों से वसूलनीय बकाया शोध्यों का रजिस्टर।

कर्मचारियों को दिए गए ऋण और उधारों का रजिस्टर, वसूली की स्थिति सहित।

किरायों का रजिस्टर।

चैक बुक का रजिस्टर।

रसीद बुक का रजिस्टर।

स्वीकृति देने वाले प्राधिकार सहित स्वीकृत पदों, साधारण भविष्य निधिलेखाओं/लेजर और तुलनपत्र, सेवा पुस्तिकाओं का रजिस्टर।

चयन समिति की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पुस्तकालय की पुस्तकों का रजिस्टर

विस्तारण नामावलि और सावधिक वेतन वृद्धि का रजिस्टर



रोकड़ बहियों और अग्रदाय रोकड़ बही  
 बैंक समाधान रजिस्टर  
 (यदि संभव हो रोकड़ बही के साथ रखें)  
 व्यय के नियंत्रण के लिए लेजर  
 यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता रजिस्टर।  
 वेतन बिल रजिस्टर  
 आकस्मिक व्यय रजिस्टर।  
 ईंधन लेखा रजिस्टर।  
 डाक टिकट लेखा रजिस्टर।  
 स्टॉक रजिस्टर।  
 लेखन सामग्री रजिस्टर।  
 बिल नियंत्रण रजिस्टर।  
 प्रतिभूति रजिस्टर  
 प्रकीर्ण व्यय रजिस्टर

**टिप्पण :—**सदस्य सचिव के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए परिषद के अधिकारी ऊपर यथा वर्णित सुसंगत रजिस्ट्रों और प्ररूपों में उन रजिस्ट्रों के खोलने और अनुरक्षण के लिए ब्यौरेवार अनुदेशों से उचित लेखे रखेंगे।

- (18) प्रकाशनों का विक्रय.—(i) किसी प्रकाशन का कोई मूल्य होगा अथवा नहीं इस बात का अवधारण अध्यक्ष से परामर्श करके सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा।
- (ii) किसी प्रकाशन का मूल्य निम्न प्रकार से संगणित किया जाएगा।
- (क) सदस्य-सचिव मुफ्त वितरण के लिए अपेक्षित पूरक प्रतियों की संख्या की घोषणा करेगा।
- (ख) मुद्रित प्रतियों की कुल संख्या में से पूरक प्रतियों की संख्या की कटौती की जाएगी और मुद्रण की कुल लागत को प्रतियों की शेष संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा।
- (ग) इस प्रकार संगणित मूल्य अगले उच्च अंक तक पूर्णांकित किया जाएगा जो पांच द्वारा विभाज्य हो।
- (iii) प्रकाशन की नियत कीमत के रिपोर्ट को परिषद की पश्चात्पूर्ती बैठक में पेश किया जाएगा।
- (iv) प्रकाशनों को मांग कर्ताओं को प्रत्येक मामले में जैसा सदस्य सचिव द्वारा विचार किया जाए मूल्य देश डाक रजिस्ट्रीकृत डाक या बुक-पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा।
- (v) डाक खर्च पूरक प्रतियों के मामले के सिवाय, मांगकर्ता से वसूल किया जाएगा।
- (vi) किसी प्रकाशन के स्टॉक की ऐसी सभी प्रतियां, जो संशोधित या पुनरीक्षित और पुनः मुद्रित या अप्रचलित हो जाती हैं, अध्यक्ष के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निपटान किया जाएगा और उन का मूल्य अपलिखित किया जाएगा।
- (vii) स्टॉक में प्रकाशन की ऐसी सभी प्रतियां जो परिषद के किसी कर्मचारी की गलती के बिना किसी कारण से क्षतिग्रस्त या गुम हो जाती हैं, अध्यक्ष के आदेश से अपलिखित किया जाएगा।

22. **परीक्षाओं का निरीक्षण**—परीक्षाओं का निरीक्षण अधिनियम की धारा 15 के अधीन निम्नलिखित विनियमनों के अनुसार किया जाएगा :—

- (1) सदस्य-सचिव का कालिकतः यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी परीक्षा निकाय से प्रत्येक परीक्षा की तारीख और स्थान का अभिनिश्चय करे जिसका परिषद द्वारा निरीक्षण किया जाए।
- (2) परिषद ऐसी अर्हककारी और अन्य परीक्षाओं की देख-रेख के लिए निरीक्षकों की नियुक्त करेगी जो जैसा अध्यक्ष या कार्यकारी समिति निदेश देगी और उस पर रिपोर्ट करेगी।
- (3) प्रत्येक निरीक्षक अध्यक्ष से लिखित रूप में परिषद की मुहर के अधीन एक औपचारिक कमीशन प्राप्त करेगा उसके अनुदेश ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं को विनिर्दिष्ट करेंगे जिसका निरीक्षण करने के लिए उससे अपेक्षा की जाती है और यह जानकारी देंगे कि इन विनियमनों के अनुसार कार्यकारी समिति को उसके उस पर रिपोर्ट करनी है।



## (4) निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि—

- (क) उसे स्वयं को अर्हककारी परीक्षा या परीक्षाओं पर ऐसी पूर्ववर्ती रिपोर्ट जिसके निरीक्षण के लिए वह नियुक्त किया जाता है जैसा अध्यक्ष निदेश करे और उस पर परिषद की कार्यकारी समिति की टीका टिप्पणी से परिचित करना। उसे इन दस्तावेजों की एक प्रति और वृत्तिक परीक्षाओं के संबंध में परिषद की सिफारिशों और वृत्तिक शिक्षा से संबंधित संकल्पों का सचिव द्वारा प्रबंध किया जाएगा;
  - (ख) ऐसी प्रत्येक परीक्षा की व्यक्तिगत रूप से देख-रेख करना जिसके निरीक्षण करने की उससे अपेक्षा की जानी है, किन्तु उसके संचलन में हस्ताक्षेप न करना ;
  - (ग) उसके द्वारा निरीक्षित प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्त या अपर्याप्त के बारे में उसकी राय कार्यकारी समिति को स्वतंत्र रूप से और पृथक् रूप से रिपोर्ट करना यदि अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो ;
  - (घ) उसके द्वारा निरीक्षित प्रत्येक परीक्षा के लिखित क्रम में प्रस्तावित प्रश्नों और व्यावहारिक भागों के रूप में सभी आवश्यक विशिष्टियां अपनी रिपोर्ट में क्रमबद्ध उपवर्णित करना, चिकित्सा संबंधी और व्यावहारिक परीक्षाओं के लिए प्रदत्त पेटियां और उपकरण निरीक्षण के लिए किए गए व्यवस्थाएं, मार्किंग की पद्धति (रीति) और पैमाना, सफलतापूर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शित ज्ञान मानक और साधारणतयः सभी ऐसे ब्यौरे जो परीक्षाओं के क्षेत्र और स्वरूप पर निर्णय करने के लिए अपेक्षित हो ;
  - (ङ) कक्षा और प्रदर्शन कक्ष अध्यापन उपकरण, पुनर्वास वृत्तिकों की संख्या, संस्था में व्यावहारिक अनुभव के लिए सुविधाओं, क्षेत्र, दिन के दौरान व्यवहारिक कार्य का पर्यवेक्षण, काम के घंटे, रहने और मनोरंजन और विद्यार्थी स्वास्थ्य सेवा के लिए व्यवस्थाओं के विशेष निदेश से निरीक्षित संस्थाओं में अध्यापन कार्यक्रम की पर्याप्तता पर रिपोर्ट करना;
  - (च) संक्षिप्त डायरी के रूप में दिनों और घंटों का रिकार्ड जब वह निरीक्षित परीक्षा के दौरान उपस्थित था और प्रत्येक दिन की प्रगति परीक्षा के भागों या प्रभागों का अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करना;
  - (छ) उसके द्वारा निरीक्षित प्रत्येक परीक्षा की दशा में किसी ऐसे विवरण की उस मात्रा तक जिसकी वृत्तिक परीक्षाओं के संबंध में परिषद की सिफारिशों की गई हैं और इस मात्रा तक भी जिस तक वृत्तिक शिक्षा पर परिषद के संकल्पों को विशेष विषयों में या विषय जो निरीक्षण में उससे संबंधित प्रभाव में लाया गया है, को भी अपनी रिपोर्टों में सम्मिलित करना ;
- (5) निरीक्षक की प्रत्येक रिपोर्ट यदि अपेक्षित हो, अध्यक्ष के निर्देशन के अधीन मुद्रित की जाएगी ;
  - (6) निरीक्षकों की रिपोर्ट गोपनीय होगी जब तक कि किसी विशेष मामले में परिषद अन्यथा निर्देश नहीं करती है;
  - (7) जैसे ही किसी निरीक्षक द्वारा कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसकी पर्याप्त प्रतियां तैयार की जाएंगी और "गोपनीय" और गोपनीय चिह्नित किए जाने के पश्चात् सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्था को अग्रेषित की जाएंगी यदि आवश्यक समझा जाता है तो इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय कम से कम जहां तक सम्भव हो थोड़ी विलम्ब से उस पर ऐसी सम्प्रेक्षण के साथ जो यह आवश्यक समझे, परिषद को भेजेगी;
  - (8) निरीक्षक की रिपोर्ट की गोपनीय प्रति उस पर विश्वविद्यालय/संस्था के सम्प्रेक्षणों के साथ यदि अपेक्षित हो तो परिषद के सदस्यों को भेजी जाएगी और उस पर कार्यकारी समिति की रिपोर्ट के साथ परिषद द्वारा उनकी अगली बैठक में विचार किया जाएगा;
  - (9) निरीक्षक की प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति सम्बद्ध विश्वविद्यालय के सम्प्रेक्षणों और उस पर कार्यकारी समिति की राय के साथ परिषद द्वारा अनुमोदन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी;
  - (10) मान्यता के लिए सिफारिशों की गई विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की एक सूची मान्यताप्राप्त पुनर्वास अर्हता के रूप में अधिनियम की अनुसूची में उनकी अर्हता सम्मिलित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी;
  - (11) कोई भी निरीक्षक ऐसी विश्वविद्यालय/संस्था में किसी परीक्षा के निरीक्षण में भाग नहीं लेगा जिसमें वह अध्यापक या परीक्षक है;

## 23. परिदर्शकों की नियुक्ति

- (1) (क) अधिनियम की धारा 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिदर्शक या तो परिषद का कोई सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित की गई कोई अर्हता प्रदत्त किसी संस्था में अध्यापक है या अध्यापक रहा है, हो सकेगा;
- (ख) परिदर्शक को यात्रा और अन्य भत्तों का संदाय, परिषद की बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्यों के लिए विहित वेतनमान के अनुसार किया जाएगा और कोई परिदर्शक जो परिषद का सदस्य नहीं है को किसी निरीक्षक के लिए ग्राह्य वेतनमान के अनुसार संदाय किया जाएगा;
- (ग) प्रत्येक परिदर्शक अध्यक्ष से लिखित रूप में परिषद की मुहर के अधीन एक औपचारिक कमीशन प्राप्त करेगा, कमीशन ऐसी परीक्षाओं और ऐसी वृत्तिक कालेजों और अन्य संस्थाओं को भी निर्दिष्ट करेगा जहां पुनर्वास में शिक्षा दी जाती है, उसे परिदर्शन के लिए अपेक्षा की जानी है और उस पर इन विनियमनों के अनुसार अध्यक्ष को रिपोर्ट देनी है और इन विनियमनों अनुसार कमीशन में वर्णित विनिर्दिष्ट विवाद्यक से संबंधित संचालन करने या निरीक्षण करेगा।



परिदर्शक के कर्तव्य—परिदर्शक का यह कर्तव्य होगा—

- (क) व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक ऐसी परीक्षा में उपस्थित रहना जिसकी उससे परिदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है और उसके स्वयं के लिए प्रदत्त अध्यापन सुविधाओं को देखना;
- (ख) उसके द्वारा परिदर्शित प्रत्येक परीक्षा पर परिषद के अध्यक्ष को रिपोर्ट करना;
- (ग) दिनों और घंटों का रिकार्ड जब वह प्रत्येक परिदर्शित परीक्षा के समय के दौरान उपस्थित या और प्रत्येक दिन प्रगति में परीक्षा के भागों या प्रभागों का और ऐसी संस्थाओं का जिसकी उसने परिदर्शन की एक संक्षिप्त डायरी के फार्मल रूप में अपनी रिपोर्ट सम्मिलित करना;
- (घ) उसके द्वारा परिदर्शित प्रत्येक परीक्षा की दशा में किसी ऐसे विवरण कि उस मात्रा तक जिसके वृत्तिक परीक्षाओं के संबंध में परिषद की सिफारिशों की गई हैं, और उस मात्रा तक जो जिस तक वृत्तिक शिक्षा पर परिषद की सिफारिशों को विशेष विषय या विषयों में विद्यार्थियों की शिक्षा में प्रभाव में लायी गई है। जिससे परिदर्शन में वह संबंध है और आवास, कर्मचारी प्रशिक्षण, उपकरण और पुनर्वासन वृत्तिकों या प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्त के लिए शिक्षा देने के लिए अन्य विहित सुविधाओं, और उसके द्वारा परिदर्शित अन्य संस्थाओं को भी अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करना;
- (ङ) ऐसी अन्य भुसंगत सम्प्रेक्षण को जिसे वह वांछनीय समझता हो अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करना;
- (च) ऐसे विनिर्दिष्ट विवाद्यक जिसके लिए ऐसा परिदर्शन किया जाता है जो अध्यक्ष के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए जो वह आवश्यक समझे परिषद की ओर से ऐसे निरीक्षण और जांच करना;
- (छ) उसकी रिपोर्ट की किसी ऐसी प्रति का जो सदस्य-सचिव से प्राप्त पर मूल के साथ मिलान करना और उसे सही करना, हस्ताक्षर करना और उसे ऐसी रिपोर्ट की प्राधिकृत प्रति के रूप में परिषद के अभिलेखों में परीक्षण के लिए सदस्य सचिव को वापिस लौटाना। परिदर्शक की रिपोर्ट तब तक "गोपनीय" मानी जाएगी जब तक कि किसी विशेष मामले में अध्यक्ष अन्यथा निदेश नहीं देता है;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार किसी परिदर्शक की किसी रिपोर्ट की प्रति की अपेक्षा करती है तो परिषद उसे भेजेगी।

#### 24. पुनर्वासन वृत्तिक पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए सन्निध्यम

- (1) पुनर्वासन वृत्तिक पाठ्यक्रम की कोई संस्था परिषद/केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आरंभ नहीं की जाएगी।
- (2) डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने की इच्छुक संस्था परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से परिषद से संसर्ग करेगी। विभिन्न वृत्तिकों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से निवेदन किया जाएगा।
- (3) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में यह उपदर्शित करना चाहिए कि वे किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रबंधित किसी कालेज/या संस्थानों के आरंभ करने के पक्ष में हैं या नहीं।
- (4) संस्था का प्रबंधतंत्र कर्मचारी स्थान और उपकरणों के ऐसे मानकों को अंगीकृत करेगा जिनकी परिषद द्वारा सिफारिश की गई है और नियत अवधि के भीतर उनके क्रमिक क्रियान्वयन के लिए वचन देगा।
- (5) संस्था का प्रबंधतंत्र ऐसे विश्वविद्यालय/बोर्ड की रजामंदी को लिखित रूप में पेश करना चाहिए जो संबद्धता प्रदान कर सकती है, यदि परिषद डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने को अनुज्ञा देती है।
- (6) संस्था का प्रबंधतंत्र डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं देने के बारे में परिषद को तुष्ट करेगा।
- (7) प्रबंधतंत्र परिषद की सिफारिशों के अनुसार डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित प्रशासनिक और अध्यापन कर्मचारियों की पर्याप्त सुविधाओं का प्रबंध करेगा।
- (8) संस्था का प्रबंध तंत्र पूर्णग डिविजन की संरचना के लिए एक योजना पेश करेगा और उसमें काम करने के लिए सक्षम कार्मिक को नियुक्त करेगा।
- (9) नया पुनर्वासन वृत्तिक पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुज्ञा के लिए किसी संगठन से आवेदन प्राप्त होने पर यदि संगठन द्वारा नहीं किया गया तो परिषद राज्य सरकार की सिफारिशों/विचारों की मांग करेगी। राज्य सरकार की सिफारिशों/विचार के नब्बे दिन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होते हैं ऐसी दशा में परिषद उसकी समितियों के समर्थन से स्वयं को आवेदन पर प्रक्रिया करने की हकदार होगी और उसके पश्चात् ऐसा विनिश्चय ले सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

#### 25. केन्द्रीय पुनर्वासन रजिस्टर का रख-खाव और उसका प्रकाशन

- (1) सदस्य-सचिव रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा और इस पर परिषद की मुहर होगी।
- (2) परिषद के रजिस्टर पर एक प्रस्तावना होगी जिसमें परिषद की मुहर सहित एक आवेष्टक पृष्ठ अन्तर्विष्ट होगा और जो रजिस्टर में दर्शित अर्हता की संक्षिप्तियों, परिषद द्वारा विनिश्चित मान्यता प्राप्त अर्हता की अद्यतन सूची भी और अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया